कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक– 147 /22–2, मुरादाबाद,दिनांक, जुलाई– 08 2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– ग्राम जलालपुर खालसा, थाना–डिलारी, तहसील व परगना ठाकुरद्वारा जनपद–मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या–29 पर मै0 इन्डियन आयल कारपोरेशन लि0, मुरादाबाद के रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग मुरादाबाद की पत्र सख्ंया–55/14–1, दि0 02–7–2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना हैं कि जनपद मुरादाबाद में मै0 इन्डियन आयल कारपोरेशन लि0, मुरादाबाद द्वारा (मुरादाबाद–ठाकुरद्वारा–काशीपुर) मार्ग के कि0मी0 368 से 370 के मध्य बॉयी पटरी में रिटेल आउटलेट पैट्रोल पम्प पर वाहनों के आवागमन हेतु पहुॅच मार्ग का निर्माण हेतु क्षेत्रफल 0.1512375 हे0 संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य प्रस्तावित हैं। जिसमें 30 वृक्षों व 06 पौधों का पातन होना है। उक्त पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वृक्षों का पातन एवं गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं। जिसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण एवं प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक– प्रस्ताव 3 मूल प्रतियों में।

भवदीय,

(कमलेश कुमार)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक– /22–2, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद को उनके उक्त पत्रांक के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।